राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	274/2015 बाबूलाल गुप्ता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. भू–प्रबंध आयुक्त, राजस्थान विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर। 3. भू–प्रबंध अधिकारी, जयपुर।	23.04.2015	श्री नरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	275/2015 कृष्ण कुमार शर्मा			
3.	276/2015 भरतलाल मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2		
4.	277/2015 मूलचन्द शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. भू–प्रबंध आयुक्त, राजस्थान विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर। 3. भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर।		
5.	279/2015 माली राम बुरडक	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 3. भू–प्रबंध अधिकारी, जयपुर।	24.04.2015	
6.	716/2015 लल्लू लाल बैरवा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. भू–प्रबंध आयुक्त, राजस्थान विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर। 3. भू–प्रबंध अधिकारी, जयपुर।	29.06.2015	
7.	717/2015 रामेश्वर लाल यादव	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2		
8.	719/2015 रमेश चन्द्र यादव			
9.	720/2015 हनुमान प्रसाद गुप्ता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. भू–प्रबंध आयुक्त, राजस्थान विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर। 3. भू–प्रबंध अधिकारी, जयपुर।		

आदेश की दिनांक : 14.02.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 274/2015 बाबूलाल गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि श्री राम प्रसाद मुसावत वाले मामले में आदेश दिनांक 08.01.2013 के द्वारा जो वास्तविक भुगतान देय तिथी से किया गया है, उसी प्रकार अपीलार्थी को भी स्टेपिंग पे का विभिन्न वेतनमान नियमों जो समय–समय पर जारी किए गए हैं, के आधार पर पुर्निधारण करते हुए लाभ प्रदान किया जावे और 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान का भी लाभ प्रदान करते हुए शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा 500 अमीन पद की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी सफल घोषित उपरांत उसके द्वारा दिनांक 25.02.1983 से 25.06.1983 तक प्रशिक्षण पूर्ण किया गया और वर्ष 1983–84 में सेटलमेण्ट विभाग द्वारा माह फरवरी में विभागीय परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कार्मिक श्री राम प्रसाद मुसावत एवं अपीलार्थी भी उपस्थित हुए और तृतीय अवसर पर दोनों द्वारा परीक्षा पूर्ण की गई। विभाग द्वारा मेरिट सूची जारी की गई, जिसमें श्री राम प्रसाद मुसावत का नाम क्रम संख्या 88 पर एवं अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 87 पर अंकित किया गया। श्री मुसावत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 346/1989 प्रस्तुत की गई, जिसमें 1979 बैच के कार्मिकों से 1981 बैच के कार्मिकों को वरिष्ठता प्रदान की गई, जिसके क्रम में अंतरिम आदेश जारी किया गया। अपीलार्थी ने भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि 15 दिवस के अंदर वरिष्ठता प्रदान की जावे और आदेश दिनांक 04.07.2002 एवं 07.08.2002 के द्वारा मेरिट आधार

पर वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया। श्री राम प्रसाद मुसावत द्वारा अपील संख्या 2407/2002 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके वेतन का निर्धारण उससे कनिष्ठ कार्मिक नियुक्ति दिनांक से ही प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया, जिसे अधिकरण के आदेश दिनांक 28.05.2010 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी को वरिष्ठता के आधार पर उससे कनिष्ठ व्यक्ति को नियुक्ति की दिनांक से नोशनल आधार पर स्थिरीकरण किया जावे। उनका कथन है कि श्री राम प्रसाद मुसावत अपीलार्थी से कनिष्ठ है फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 26.10.1983 से वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्रदान किया गया है जबकि अपीलार्थी को नहीं। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि श्री राम प्रसाद मुसावत वाले मामले में आदेश दिनांक 08.01.2013 के द्वारा जो वास्तविक भुगतान देय तिथी से किया गया है, उसी प्रकार अपीलार्थी को भी स्टेपिंग पे का विभिन्न वेतनमान नियमों जो समय–समय पर जारी किए गए हैं, के आधार पर पुर्निधारण करते हुए लाभ प्रदान किया जावे और 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान का भी लाभ प्रदान करते हुए शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत कर यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार जो भी परिलाभ देय थे, वो दिये जा रहे हैं और अपीलार्थी नियम विरूद्ध लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। श्री राम प्रसाद मुसावत का प्रकरण भिन्न है और उस प्रकरण में जो भी आदेश हुये हैं, वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में हुये हैं। श्री मुसावत को आदेश दिनांक 01.10.1991 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी के आदेश दिनांक 25.11.1992 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। समय–समय पर जारी वरिष्ठता सूचियां दिनांक 08.10.2003, 08.11.2011, 08.09.2013 एवं 23.04.2015 जारी की गई, जिसमें श्री मुसावत अपीलार्थी से वरिष्ठ है और अपीलार्थी ने उक्त वरिष्ठता सूचियों को कभी–भी कोई चुनौती नहीं दी। अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री मुसावत का नाम क्रम संख्या 338 पर, जबकि

अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 400 पर अंकित है और वरिष्ठता के आधार पर ही वेतन लाभ आदि प्रदान किये गये हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत कर यह बहस की है कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो एक ही समय परीक्षा में चयनित/उत्तीर्ण हुए हों और एक अधिक वेतन और दूसरा निम्न वेतन का लाभ ले रहा हो। श्री मुसावत एवं अपीलार्थी द्वारा एक ही समय परीक्षा उत्तीर्ण की गई, परंतु अपीलार्थी को श्री मुसावत के समान लाभ प्रदान नहीं किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि राज्य सरकार द्वारा 500 अमीन पद की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण सफल घोषित उपरांत उनके द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किया गया और वर्ष 1983–84 में सेटलमेण्ट विभाग द्वारा माह फरवरी में विभागीय परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कार्मिक श्री राम प्रसाद मुसावत एवं अपीलार्थीगण भी उपस्थित हुए और तृतीय अवसर पर परीक्षा पूर्ण की गई। विभाग द्वारा मेरिट सूची जारी की गई, जिसमें श्री राम प्रसाद मुसावत का नाम अपीलार्थीगण से नीचे अंकित किया गया था। श्री मुसावत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 346/1989 प्रस्तुत की गई, जिसमें 1979 बैच के कार्मिकों से 1981 बैच के कार्मिकों को वरिष्ठता प्रदान की गई, जिसके क्रम में अंतरिम आदेश जारी किया गया। अपीलार्थी श्री बाबू लाल गुप्ता ने भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि 15 दिवस के अंदर वरिष्ठता प्रदान की जावे और आदेश दिनांक 04.07.2002 एवं 07.08.2002 के द्वारा मेरिट आधार पर वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया। श्री राम प्रसाद मुसावत द्वारा अपील संख्या 2407/2002 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके वेतन का निर्धारण उससे कनिष्ठ कार्मिक नियुक्ति दिनांक से ही प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया, जिसे अधिकरण के आदेश दिनांक 28.05.2010 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी को वरिष्ठता के आधार पर उससे कनिष्ठ व्यक्ति को नियुक्ति की दिनांक से नोशनल आधार पर स्थिरीकरण किया जावे। उनका कथन है कि श्री राम प्रसाद मुसावत अपीलार्थी से कनिष्ठ है

फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 26.10.1983 से वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थीगण को स्टेपिंग पे का स्थिरीकरण का लाभ एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण के उक्त मामले के संबंध में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को इस आदेश के जारी होने की तिथी से तीन सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धांतों को एवं सेवा नियमों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 274/2015 बाबूलाल गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य